महत्वपूर्ण एवं खास

बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के छह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, पांच साल से अधिक समय काट चुके हैं जेल में

रायपुर (आरएनएस)। बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में आरोपी पूर्व पुलिस अफसर एएस गिल, वीके पांडेय और आरसी त्रिवेदी समेत छह लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. इन आरोपियों को छह माह पहले दोबारा जेल में दाखिल किया गया था. सभी आरोपी पांच साल से अधिक समय तक जेल में बीता चुके हैं. वकीलों ने बताया कि आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के बाद मंगलवार को छह आरोपियों की जमानत के आदेश दिए हैं. अब आदेश की मूल प्रति रायपुर की अदालत में जमा की जाएगी, जिसके बाद आरोपियों की जेल से रिहाई के आदेश होगा. बता दें कि जग्गी हत्याकांड में जमानत निरस्त होने के बाद पुलिसवालों समेत जग्गी हत्याकांड समेत सभी आरोपियों को वापस जेल दाखिल करने के आदेश दिए गए थे. इस आधार पर सभी ने इस साल जून महीने में कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.

छत्तीसगढ़ी फिल्म बेटा 22 को होगी रिलीज

रायपुर (आरएनएस)। लीक से हटकर छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता निर्देशक एवं अभिनेता चंद्रशेखर चकोर ने प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि बेटा फिल्म पारिवारिक फिल्म है इस फिल्म दर्शकों को हंसी मजाक के साथ ही मां बेटे का प्यार देखने को मिलेगा। बेटा फिल्म के नायक पुमंगराज के साथ नायिका हेमा शुक्ला की प्रभावी भूमिका दिखेगी। फिल्म भावना प्रधान है। फिल्म की शूटिंग आरंग क्षेत्र में कि गई है।

युवक की गला दबाकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। विनायक सिटी भाठागांव में युवक की गला दबाकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थिया की शिकायत पर पुरानी बस्ती पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया चंद्रकला ठाकुर 40 वर्ष ने थाना में शिकायत किया कि मृतक संतोष कुमार 36 वर्ष विनायक सिटी भाठागांव में हिमांशु के निर्माणाधीन मकान में काम कर रहा था। तभी आरोपी नोहर लाल मानिकपुरी 23 वर्ष ने किसी बात पर विवाद कर संतोष का गलना दबाकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी नोहर लाल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

नर्सरी से हजारों रुपए के सामान पार

रायपुर (आरएनएस)। कृषि महाविद्यालय के पीछे नर्सरी में दबिर देकर अज्ञात चोर ने हजारों रुपए के सामान पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी चेतन कुमार वर्मा 49 वर्ष इंद्रा गांधी कृषि महाविद्यालय आवासीय परिसर में रहता है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि अज्ञात चोर ने नर्सरी में प्रवेश कर 450 मीटर केबल वायर और ग्राईण्डर मशीन पार कर दिया। चोरी गए जुमला कीमती करीब 20 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकाय पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

दोपहिया वाहन में अज्ञात व्यक्ति ने लगाई आग

रायपुर (आरएनएस)। जागृतिनगर खमतराई में अज्ञात व्यक्ति ने दो दोपहिया वाहन में आग लगा दी। प्रार्थिया की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया रिना महानंद 45 वर्ष जागृतिनगर खमतराई की रहने वाली है। प्रार्थिया ने थाना में शिकायत किया कि अज्ञात आरोपी ने उसके घर के बाहर खड़ी टीवीएस जूपिटर और पल्सर बाइक में आग लगा दी। जिससे दोनों वाहन जलकर खाक हो गए। पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

जिला स्तरीय दो दिवसीय बस्तर ओलंपिक 2024 का हुआ शुभारंभ

बस्तर ओलंपिक के जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों द्वारा खिलाड़ियों को 100 मीटर दौड़ का हरी झंडी दिखाकर किया खेल प्रारंभ

❒ जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने खिलाड़ियों को संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने की दी शुभकामनाएं

दंतेवाड़ा | आरएनएस

प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप राज्य शासन द्वारा बस्तर जिले के अंदरूनी इलाकों के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए बस्तर ओलंपिक 2024 के रूप में एक अवसर, एक मंच दिया जा रहा है, जिसमें स्थानीय खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा को बेहतर करते हुए बड़े अवसर की ओर बढ़ सकते हैं। इस क्रम में मुख्यालय के हाई स्कूल मैदान में आज जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2024 का आगाज हुआ। जिसके तहत खेल मैदान में जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के द्वारा दंतेवाड़ा, कुआकोंडा, कटेकल्याण, गीदम विकासखण्डों के खिलाडिय़ों के 100 मीटर दौड़ का प्रारंभ उडन क्लिप बजाकर किया गया।

शुभारंभ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष सुनीता भास्कर ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल सिक्के के दो पहलू है। हम जब खेल खेलेंगे तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, जिससे पढ़ाई में भी मन लगा रहेगा। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व है। खेलों से ही अनुशासन सीखने को मिलता है। इसके अलावा उन्होंने सभी खिलाडिय़ों को संभाग स्तरीय पर अच्छा प्रदर्शन करने की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस क्रम में जिला पंचायत सदस्य रामूराम नेताम ने कहा कि आप सभी अपनी खेल प्रतिभा को उत्कृष्ट करने हेतु प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहें है। इन खेलों में आप सभी को अपना बेहतर प्रदर्शन करना है। उन्होंने खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस खेल आयोजन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाडिय़ों को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी।

कार्यक्रम में उपस्थित कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी सम्पूर्ण खेल आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर तत्काल खिलाड़ी एवं शैक्षिक प्रशासन को अवगत कराएं ताकि उसका तुरंत निदान किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर ओलंपिक के आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कुस्ती जैसे खेलों में हरियाणा पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं केरल राज्य से एथलेटिक्स के खिलाडिय़ों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश का नाम रौशन किया है क्योंकि इन राज्यों की आबो हवा इन्हीं खेलों के अनुरूप है। इसे देखते हुए शासन ने भी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए ऐसे स्थानों को चयन किया है जहां सुविधाएं एवं संसाधनों की कमी है। इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि ऐसे क्षेत्रों से भी खिलाड़ी निकल कर आएं जो देश दुनिया में यहां का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि आने वाले पांच से दस वर्षों स्थानीय स्तर के खिलाड़ी भी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, तथा एशियन गेम्स में पदक जितेगें। उन्होंने खिलाडिय़ों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक में दंतेवाड़ा को अधिक से अधिक पदक दिलाएं।

सीईओ जिला पंचायत जयंत नाहटा ने कहा कि जो खिलाड़ी प्रथम बार इन खेलों में भागीदारी कर रहे है वे इन्ही खेलों में निरंतरता रखें। निश्चय ही उन्हें भविष्य के खेलों में सफलता मिलेगी। इसके अलावा स्थानीय खिलाडिय़ों के लिए हर प्रकार के खेल सुविधाएं जुटाने में जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। इस मौके पर जनप्रतिनिधिगण, सहित जनपद सीईओ, बीओ, खेल अधिकारी एवं पीटीआई, शिक्षक, शिक्षिकाएं स्कूली छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

किन्नर मठ का प्रमुख बनने एक किन्नर ने दूसरे की सुपारी देकर करवाई हत्या, पांच गिरफ्तार

बलौदाबाजार | आरएनएस

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में किन्नर हत्याकांड का 48 घंटे के भीतर पुलिस ने पर्दाफ ाश कर लिया है। मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला किन्नर की हत्या वर्चस्व की लड़ाई के लिए सुपारी देकर करवाई गई थी।

बता दें कि ढाबाडीह गांव के बंद पड़े पत्थर खदान में महिला की लाश मिली थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से ही डेढ़ लाख रुपए बरामद किये थे तथ प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मानकर जांच शुरू की थी और घटना के 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मामले को सुलझा लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी विजय अग्रवाल ने बताया, पुलिस को 18 नवंबर को ढाबाडीह के बंद पड़े खदान के पानी में एक महिला की लाश मिलने की सूचना मिली थी. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव का खदान से बाहर निकाला। इस दौरान घटना स्थल से 500-500 की गड्डी में कुल डेढ़ लाख रुपए बरामद किया गया था। पुलिस शव की पहचान करने में जुटी रही। जांच में शव ग्राम जोरा, रायपुर निवासी किन्नर काजल का होना पाया गया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तेलीबांधा थाने में दर्ज थी। इस हत्याकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी अग्रवाल ने बताया, किन्नर मठ का प्रमुख बनने के लिए काजल को रास्ते से हटाने वारदात को अंजाम दिया गया है। इस हत्याकांड में बजरंग दल के कार्यकर्ता हिमांशु बंजारे भी शामिल है। हत्या में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उसमें हिमांशु भाई बजरंग दल लिखा हुआ है। किन्नरों के निवास भवन जोरा रायपुर में सभी किन्नर एक साथ रहते है, जिसमें आरोपी तपस्या किन्नर मुंबई से आकर रही है। काजल रायपुर की थी। हत्या की मुख्य आरोपी किन्नरों की प्रमुख बनना चाहती थी, इसके लिए उसके रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती काजल थी। काजल को रास्ते से हटाने के लिए तपस्या ने हत्या की पूरी प्लानिंग की। मठ प्रमुख बनने की चाहत में आरोपी तपस्या ने निशा श्रीवास के साथ मिलकर काजल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। सितंबर 2024 में गणेश उत्सव के दौरान काजल की हत्या करने की नीयत से तपस्या किन्नर ने पैसा इक_ा कर कुल 12 लाख रुपये निशा श्रीवास को दिया। योजना में निशा श्रीवास ने अपने ड्राइवर हिमांशु बंजारे से हत्या करने के लिए एक सुपारी किलर को 06 लाख रुपए नगद दिया, किंतु बाद में पता चला कि वह सुपारी किलर किसी अन्य मामले में जेल चला गया है। इसी बीच काजल की हत्या करने के लिए दो अन्य सुपारी किलर अंकुश एवं कुलदीप से सौदा किया गया। इसी बीच घटना दिनांक के 02 दिन पूर्व आरोपिया निशा श्रीवास अपने ड्राइवर हिमांशु बंजारे के साथ घटना स्थल ग्राम ढाबाडीह के पास पत्थर खदान को देखने भी आई और 18 नवंबर को मृतका काजल को वहां बुलाकर प्लानिंग के तहत उसकी हत्या कर दी गई।

नाले में मिली गायब मजदूर की लाश, साथी गिरफ्तार

रायपुर | आरएनएस

पुरानीबस्ती थाना क्षेत्र के आनंद समाज वाचनालय के पास ही बहने वाले नाले में आज सुबह एक अज्ञात की लाश मिलने के बाद से ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बाहर निकलवाया और चीरघर भिजवा दिया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शव की स्थिति काफी खराब हो चुकी है, शव काफी हद तक डिकम्पोज हो चुका है। इसकी वजह से शव की तत्काल पहचान नहीं हो पाई थी। शव को बाहर निकलवाने के बाद गुमशुदा लोगों की भी पतासाजी की गई। इसके बाद पत चला कि मंगलवार की रात गायब एक मजदूर संतोष कुमार का शव है। जांच में पता चला कि मंगलवार की रात मृतक की अपने साथी से विवाद हुआ था। आरोपी नोहर मानिकपुरी ने संतोष कुमार पर फावड़े से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था और शव को यहां फेंक दिया था। मृतक के संबंध में प्रारंभिक जानकारी मिली है कि वह विनायक सिटी में मजदूरी का काम करता था। घटना की ररात दोनों ने खाना खाने के बाद साथ बैठकर शराब पी. इस दौरान संतोष ने नोहर को ताना मारते हुए कहा 'कमाई के कुछ पैसे घर भी भेज दिया कर' ये बात नोहर को नागवार गुजरा. इसके बाद दोनों के बीच गाली-गलौज और हाथापाई शुरू हुई. वहीं नोहर ने संतोष का गला दबाकर फावड़े से उसके सिर पर कई वार कर लहूलुहान कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मामले में पुलिस ने आरोपी नोहर को गिरफ्तार कर लिया है।

खरसिया में पुलिस की शराब रेड कार्यवाई: खंतीपार में 7 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

चौकी प्रभारी संजय नाग और उनकी टीम ने खंतीपार खरसिया में मुखबिर की सूचना पर शराब के खिलाफ शराब रेड कार्रवाई की। पुलिस को जानकारी मिली थी कि खंतीपार का माखन चौहान अपने घर के बाहर अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री के लिए रखे हुए है।

सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने माखन चौहान को उसके घर के पास से पकड़ लिया, जहां एक प्लास्टिक बोरी में चार प्लास्टिक बोतल में कुल 7 लीटर कच्ची महुआ शराब पाई गई। आरोपी ने शराब को बिक्री के लिए रखा होने की बात स्वीकार की।

आरोपी माखन चौहान (50 वर्ष), निवासी खंतीपार वार्ड 8, खरसिया के खिलाफ चौकी खरसिया में आबकारी एक्ट की धारा 34(2), 59(क) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस रेड कार्रवाई में चौकी प्रभारी संजय नाग के साथ सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार पटेल, प्रधान आरक्षक शंकर क्षत्रिय, मनोज मरावी, अनंत तिवारी, आरक्षक कीर्ति सिदार, सोहन लाल यादव और महिला आरक्षक रंजीता चौहान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए अपनी मुहिम को और तेज करने का संकल्प लिया है।

तीन बदमाशों के खिलाफ की गई जिलाबदर की कार्यवाही

रायपुर | आरएनएस

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डॉ गौरव सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ संतोष सिंह की अनुशंसा पर जिले के आदतन अपराधी चंदन भारती पिता पुनाराम भारती उम्र 26 वर्ष निवासी अटल आवास पठारीडीह थाना उरला एवं बदमाश आशु छत्री पिता ईश्वर छत्री उम्र 22 वर्ष निवासी वाल्मीकि नगर थाना कबीर नगर जिला रायपुर को दिनांक 20/11/24 को 3 माह के लिए जिला बदर कर दिया है। पुलिस द्वारा अन्य कई आदतन बदमाशों के ऊपर जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर ऑफिस में भेजा गया है जो प्रक्रिया में है। अभी थाना गंज क्षेत्र के बदमाश मोहम्मद शहजाद उर्फ चिंगरी पिता मोहम्मद हफीजुद्दीन उम्र 25 वर्ष साकिन अफरोज बाघ मौदहापारा थाना गंज जिला रायपुर को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जिला बदर की कार्यवाही करते हुए जिला बदर किया गया। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की 5 (ख) के तहत दांडिक प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 20.11.2024 के अनुसार यह आदेश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर जिला रायपुर तथा समीपवर्ती राजस्व जिला दुर्ग, धमतरी, बलौदा बाजार, महासमुंद जिले क्षेत्र से तीन माह की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है द्य इन बदमाशों को इस आदेश का तुरंत पालन करने और पालन न करने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं। इन बदमाशों के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई अपराधों में चालान और कार्यवाहियां हुई है। बदमाश मोहम्मद शहजाद के विरुद्ध वर्ष 2015 से लगातार मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, चोरी आदि के कुल 14 अपराध पंजीबद्ध है। बदमाश आशु छत्री के विरुद्ध वर्ष 2015 से लगातार हत्या के प्रयास, मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, जान से मारने की धमकी देने, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कुल 20 अपराध पंजीबद्ध है तथा बदमाश चंदन भारती के विरुद्ध वर्ष 2014 से लगातार मारपीट, चाकू बाजी, गुंडागर्दी, अवैध शराब बिक्री के कुल 18 अपराध पंजीबद्ध है।

पशु तस्करी के मामले में दो गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। जिले की मंदिर हसौद थाना पुलिस ने दो मवेशी तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पांच नग मवेशी जब्त किया है। मामले में आरोपियों के खिलाफ छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6, 10 का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति एक पिकअप वाहन में मवेशी भरकर चंदखुरी मंदिर हसौद रायपुर से उडीसा की ओर परिवहन कर रहे है। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, नगर पुलिस माना लम्बोदर पटेल एवं थाना प्रभारी मंदिर हसौद निरीक्षक सचिन सिंह को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा वाहन एवं व्यक्तियों की पतासाजी करना प्रारंभ करते हुए टीम के सदस्यों द्वारा ग्राम छतौना चौक स्थित एन.एच- 53 में नाकेबंदी पाईंट लगाया गया। इसी दौरान मुखबीर द्वारा बताये पिकअप वाहन को आता देख पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा वाहन को रोकवाया गया। पिकअप वाहन में 2 व्यक्ति सवार थे, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम नकुल हंस निवासी नुवापाडा उडीसा एवं शाहरूख कुरैशी निवासी श्यामली उप्र. का होना बताया तथा उनका पिकअप वाहन का पीछे का भाग तिरपाल से ढक्का हुआ था, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा तिरपाल को खोलकर देखने पर पाया गया कि वाहन में 05 नग मवेशी भैंस को बिना चारा पानी दिये क्रूरता पूर्वक भरकर परिवहन किया जा रहा था। व्यक्तियों से मवेशी परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी नकुल हंस एवं शाहरूख कुरैशी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 05 नग मवेशी भैंस एवं मवेशी परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक ओडी/26/ई/8591 जप्त कर दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में धारा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6, 10 का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

चीफ जस्टिस ने जिला कोर्ट परिसर के नवीन पोस्ट ऑफिस एवं बीजापुर जिले के न्यायालयीन आवासीय परिसर का किया वर्चुअल उद्घाटन

❒ बस्तर जिले के जिला न्यायालयों में आधारभूत संरचनाओं के उन्नयन हेतु छ0ग0 उच्च न्यायालय द्वारा किए जा रहे है विभिन्न प्रयास

दंतेवाड़ा | आरएनएस

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शाखा पोस्ट ऑफिस जिला न्यायालय परिसर दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले के न्यायाधीश आवास तथा न्यायालयीन कर्मचारी कॉलोनी का वर्चुअल उदघाटन किया। उक्त कार्यक्रम में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा पोर्टफोलिया जज दंतेवाड़ा विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुये। इस मौके पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधन करते हुए कहा कि छ0ग0 उच्च न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राज्य में जिला न्यायालयों की आधारभूत संरचनाओं के उन्नयन हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। न्यायिक अधिकारी एवं न्यायिक कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उपलब्ध कराये गये आवास को उचित देखभाल एवं साफ-सफाई से रखें, ताकि उनके बाद आने वाले न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी उचित स्थिति में आवास प्राप्त हो सके। इसके अलावा न्यायालय परिसर में शाखा पोस्ट ऑफिस खुलने से न्यायालय में आने वाले पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को पोस्ट ऑफिस से संबंधित सेवाओं के लिये कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और उन्हे न्यायालय में ही उक्त सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता ने जानकारी दी कि जिला बीजापुर में न्यायिक अधिकारी हेतु 01 ई-टाईप एवं न्यायिक कर्मचारियों के लिये 05 जी-टाईप, 10 एच - टाईप, 08 आई-टाइप के गुणवत्तापूर्ण आवास निर्मित किये गये है। चीफ जस्टिस के सतत मार्गदर्शन एवं अभिनव विचारों का ही यह परिणाम है कि दंतेवाड़ा जिला न्यायालय को एक कम्पोजिट बिल्डिंग के रूप में परिवर्तित होकर उसमें पोस्ट ऑफिस जैसी कई महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है जो कि उनका आम व्यक्तियों को न्याय के साथ-साथ आवश्यक जन कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के प्रति संवेदनशील होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। चीफ जस्टिस के प्रभावी एवं कुशल नेतृत्व के कारण ही अधोसंरचना के विकास का कार्य तीव्रता से हुआ है। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा विजय कुमार होता, जिला अधिवक्ता संघ दंतेवाड़ा के अध्यक्ष के0के0 देवांगन, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, प्रभारी पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा राजनाला स्मृतिक, कलेक्टर बीजापुर संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ जितेन्द्र कुमार यादव, जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा, अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण, एवं समस्त न्यायिक कर्मचारी तथा मीडियाकर्मी उपस्थित रहे।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU